अनुदान संख्या 15 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 15 - DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	205363,57,00	221742,46,00	221336,66,62	-405,79,38
पूरक	Supplementary	16378,89,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				380,82,69
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	25150,37,00	25201,93,00	22994,16,09	-2207,76,91
पूरक	Supplementary	51,56,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				12,44,39

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुईं/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	7999.00			
पू.	S.	24745.00	32779.87	32084.30	-695.57
पु.	R.	35.87			
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण, भाण्डागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	19785551.00			
पू.	S.	1482005.00	21232784.79	21230983.95	-1800.84
पु.	R.	-34771.21			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	80397.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-80398.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	637360.00			
पू.	S.	126038.00	856581.65	856581.35	-0.30
पु.	R.	93183.65			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	25050.00			
पू.	S.	5100.00	14017.00	14017.02	+0.02
पु.	R.	-16133.00			

(I) चार शीर्षों के अन्तर्गत ₹80398.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूर्णरूप से अप्रयुक्त रहा, इनमें से ₹80000.00 लाख केवल मुख्य शीर्ष "2252" – "नागरिक आपूर्ति–अन्य अनुदान–खाद्यान्नों के अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और एनएफएसए के तहत एफपीएस डीलरों को मार्जिन" के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोजन और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹80398.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) remained wholly unutilized under four heads; of these ₹80000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Civil Supplies-Other Grants - Assistance to States Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की अंतरा राज्य मूवमेंट और एफपीएस डीलर मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता" के अंतर्गत ₹21900.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसम्बर 2023 में ₹4950.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹26850.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, दिल्ली सरकार द्वारा नियमों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण एनएफएसए की धारा 40 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को निधियां जारी नहीं किए जाने गैर जम्मू और कश्मीर के दावों का निपटान नहीं हो पाने के कारण ₹15314.86 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(II) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes-Central Assistance/Share - Assistance to States Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA" - the original provision of ₹21900.00 lakhs was augmented to ₹26850.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4950.00 lakhs in December, 2023. However there was a saving of ₹15314.86 lakhs (including supplementary grant) - due to non-releasing of funds to NCT of Delhi under section 40 of NFSA owing to non finalization of rules by Delhi Government and non settlement of claims of Jammu and Kashmir.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2023 और जनवरी, 2024 में प्राप्त की गई पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई राशि पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रही:–

(III) Supplementary grant obtained in December, 2023 and February, 2024 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय–खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग" के अन्तर्गत ₹7999.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹24745.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹32744.00 लाख किया गया, जो, तथापि, अधिक स्टाफ की पदोन्नति/स्थानांतरण और कम दावों की प्राप्ति के कारण ₹659.70 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Food and Public Distribution" - the original provision of ₹7999.00 lakhs was augmented to ₹32744.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹24745.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹659.70 lakhs - due to promotion/transfer of staff and receipt of less claims.

(खा) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" –

(B) Major Head "2408" - "Food" -

(क) "अधिप्राप्ति और आपूर्ति–राज्यों की एजेंसियों को खाद्यान्नों के अन्तरा राज्य मूवमेंट और एनएफएसए के अन्तर्गत एफपीएस डीलर मार्जिन हेतु सहायता" – ₹50.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹450.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹500.00 लाख किया गया, जो, तथापि, लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति नहीं होने और संघ राज्य क्षेत्रों से कम दावों की प्राप्ति के कारण ₹362.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(a) "Procurement and Supply - Assistance to States Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA" - the original provision of ₹50.00 lakhs was augmented to ₹500.00 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹450.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹362.00 lakhs - due to non-receipt of pending utilisation certificates and receipt of less claims from UT's.

(ख) "खाद्यान्न सहायिकी–पीएमजीकेएवाई के अन्तर्गत खाद्यान्नों के प्रापण के विकेंद्रीकरण के लिए राज्य सरकार को सहायिकी" – ₹5157405.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1158400.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹6315805.00 लाख तक बढ़ाया गया जो, तथापि, राज्यों से कम संख्या में बिल प्राप्त होने के कारण ₹33664.31 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Food Subsidies - Subsidy to State Government on decentralized procurement of foodgrains under PMGKAY" - the original provision of ₹5157405.00 lakhs was augmented to ₹6315805.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1158400.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹33664.31 lakhs - due to receipt of less bills from States.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजना–केंद्रीय सहायता/हिस्सा – सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार के लिए योजना (स्मार्ट पीडीएस)" – दिसंबर, 2023 में पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹760.00 लाख की निधियां प्रदान की गईं जो, तथापि, राज्यों द्वारा शर्तें पूरी न करने की वजह से ₹414.49 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes-Central Assistance/Share-Scheme for Modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System (SMART-PDS)" - funds of ₹760.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant in December, 2023 which, however, remained unutilised to the extent of ₹414.49 lakhs - due to non-fulfilment of conditions for release by states.

(IV) मुख्य शीर्ष "2408" – "भंडारण और भांडागार–अनुसंधान और मूल्यांकन – भारतीय अनाज भंडार प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान" – ₹1104.07 लाख की बचत (₹1731.00 लाख के प्रावधान की तुलना में) स्टॉफ की पदोन्नति/स्थानांतरण और मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2408" - "Storage and Warehousing-Research and Evaluation-Indian Grain Storage Management & Research Institute" - saving of ₹1104.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1731.00 lakhs) was due to promotion/transfer of staff and slow pace of repair & maintenance work.

(V) मुख्य शीर्ष "3602" के अंतर्गत – "केंद्रीय प्रायोजित योजना–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – राज्य एजेंसियों को खाद्यान्नों के अन्तर्राज्यीय मूवमेंट के लिए

(V) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes-Special Component Plan for Scheduled Castes-Assistance to States Agencies for

और एन. एफ. एस. ए. के अन्तर्गत एफ. पी. एस. डीलर मार्जिन हेतु सहायता" – ₹714.43 लाख की बचत (₹25.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2100.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दिल्ली सरकार द्वारा नियमों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने की वजह से एनएफएसए की धारा 40 के अन्तर्गत निधियां जारी नहीं किए और जम्मू व कश्मीर के दावों का निपटान नहीं किए जाने के कारण हुई।

intra-state movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA" - saving of ₹714.43 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs including supplementary grant of ₹25.00 lakhs) was due to non-releasing of funds to NCT of Delhi under section 40 of NFSA owing to non finalization of rules by Delhi Government and non settlement of claims of Jammu and Kashmir.

(VI) तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹1052.82 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और कुल स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत से 82 प्रतिशत तक थी।

(VI) Under three heads savings of ₹1052.82 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 29 percent to 82 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित योजना" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईः–

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - under the following heads:-

(I) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राज्य एजेंसियों को खाद्यान्नों के अन्तरा राज्य मूवमेंट और एन. एफ. एस. ए. के अन्तर्गत एफ.पी.एस. डीलर मार्जिन के लिए सहायता" – ₹92858.50 लाख का अधिक व्यय (दिसम्बर 2023 में प्राप्त ₹125267.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹665027.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राजस्थान के लंबित दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2252" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(I) "Central Assistance/Share - Assistance to States Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA" - excess of ₹92858.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹665027.00 lakhs including supplementary grant of ₹125267.00 lakhs obtained in December, 2023) was due to requirement of additional funds towards settlement of pending claims of Rajasthan and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – राज्य एजेंसियों को खाद्यान्नों के अन्तर्राज्यीय परिवहन और एन. एफ. एस. ए. के तहत एफ. पी. एस. डीलरों को मार्जिन के लिए सहायता" – ₹714.43 लाख का अधिक व्यय (₹64300.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के दावों के निपटान के लिए निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Assistance to States Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA" - excess of ₹714.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹64300.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards settlement of previous years claims.

(III) एक शीर्ष के अन्तर्गत ₹267.75 लाख का अधिक व्यय हुआ जहाँ पूरा व्यय निधियों के पुनर्विनियोजन के द्वारा पूरा किया गया।

(III) Under one head excess of ₹267.75 lakhs occurred where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, समग्र बचतें (₹220776.91 लाख) दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹5156.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं:–

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹220776.91 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹5156.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and constituted 9 percent of the total sanctioned provision:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4408" खाद्य भंडारण और भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4408" Capital Outlay on Food Storage and Warehousing				
मू.	O.	9037.00			
पू.	S.	3116.00	18948.61	18916.09	-32.52
पु.	R.	6795.61			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	6000.00			
पू.	S.	2040.00	..	..	..
पु.	R.	-8040.00			
मुख्य शीर्ष "6408" खाद्य, भंडारण और भाण्डागार के लिए ऋण	Major Head "6408" Loans for Food Storage and Warehousing		2500000.00	2280500.00	-219500.00

(I) दो शीर्षों के तहत ₹8940.00 लाख का प्रावधान (₹2040.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹8940.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए :–

(I) Provision of ₹8940.00 lakhs (including supplementary grant of ₹2040.00 lakhs) remained wholly unutilised under two heads; of these ₹8940.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4408" – "भंडारण और भाण्डागार–अन्य व्यय–केंद्रीय खाद्यान्न मूल्यांकन प्रयोगशाला" – ₹900.00 लाख सूक्ष्म स्तर पर फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्तपूर्ण परीक्षण को जारी नहीं रखने के कारण।

(A) Major Head "4408" - "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Central Grain Analysis Laboratory" - ₹900.00 lakhs - due to discontinuation of qualitative testing of Fortified Rice at micro level.

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" – "भंडारण और भाण्डागार–सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय खाद्य निगम" – के अन्तर्गत ₹8040.00 लाख (₹2040.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण।

(B) Major Head "4552" - "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and other undertakings - Food Corporation of India" - ₹8040.00 lakhs (including supplementary grant of ₹2040.00 lakhs) - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "4408" – "भंडारण और भाण्डागार – अन्य व्यय – गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ" के अन्तर्गत – ₹2400.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹342.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹2742.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, ₹2404.14 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(II) Under Major Head "4408" - "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Quality Control Cell" - the original provision of ₹2400.00 lakhs was augmented to ₹2742.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹342.00 lakhs. However, there was a saving of ₹2404.14 lakhs (including supplementary grant); and

(III) मुख्य शीर्ष "4408" – "भंडारण और भाण्डागार–अन्य व्यय–भारतीय खाद्यान्न प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान" के अन्तर्गत – ₹1191.43 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(III) Under Major Head "4408" - "Storage and Warehousing-Other Expenditure-Indian Grain Storage Management & Research Institute" - saving of ₹1191.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें सूक्ष्म स्तर पर फोर्टिफाइड राइस के गुणात्मक परीक्षण को समाप्त करने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to discontinuation of qualitative testing of Fortified Rice at micro level.

(IV) मुख्य शीर्ष "6408" – "खाद्यान्न – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण–एफ. सी. आई. को देय अर्थोपाय अग्रिम" के अन्तर्गत ₹219500.00 लाख की बचत (₹2500000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एफ. सी. आई. द्वारा अर्थोपाय अग्रिम की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "6408" - "Food - Loans to Public Sector and other undertakings - Ways and Means Advance payable to FCI" - saving of ₹219500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500000.00 lakhs) was due to less requirement of Ways and Means Advance by FCI.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4408" – "भंडारण और भाण्डागार – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय खाद्य निगम" के अन्तर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹11070.00 लाख का अधिक व्यय (₹2656.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹6656.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एफ. सी. आई. द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र के गोदामों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4408" - "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Cooperation of India" - excess of ₹11070.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6656.00 lakhs including supplementary grant of ₹2656.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards construction of godowns by FCI in North Eastern Region.